रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082020-221148
CG-DL-E-14082020-221148

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 399] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2020/श्रावण 23, 1942
No. 399] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2020/SHRAVANA 23, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2020

सं. 24/2020-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 505(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित "डाईकीटोपाइरोलो पाइरोल पिग्मेण्ट रेड 254 (डीपीपी रेड 254)" के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 41/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17 अगस्त, 2015 जिसे सा.का.नि. 637 (अ), दिनांक 17 अगस्त, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में, प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/27/2019-डीजीटीआर, दिनांक 18 दिसम्बर, 2019, जिसे दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को तीन महीने की और अवधि तक जारी रखने के लिए अनुरोध किया है ।

अत: अब, उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 41/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 17 अगस्त, 2015, जिसे

सा.का.नि. 637(अ), दिनांक 17 अगस्त, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में क्रम संख्या 4 में स्तंभ (5) की प्रविष्टि के स्थान पर "जिन पर प्रतिपाटन शुल्क लागू होता है उनसे इतर कोई भी देश " प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण के पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, पैरा 1 में संदर्भित सारणी में क्रम संख्या 1, 2, 3 एवं 4 के सामने विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क दिनांक 16 नवम्बर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो, लागू रहेगा ।"

[फा. सं. 354/180/2015 –टीआरयू (पार्ट-I)]

गौरव सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2020

No. 24/2020-Customs (ADD)

G.S.R. 505(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/27/2019-DGTR, dated the 18th December, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 18th December, 2019, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of 'Diketopyrrolo Pyrrole Pigment Red 254 (DPP Red 254)' originating in or exported from China PR, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 41/2015-Customs (ADD) dated 17th August, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 637(E), dated the 17th August, 2015, and has requested for extension of the said anti-dumping duty for a period of three months in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 41/2015-Customs (ADD) dated 17th August, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 637(E), dated the 17th August, 2015, namely:-

In the said notification,-

(A) in the Table, against serial number 4, for the entry in column (5), the entry "Any country other than those attracting anti-dumping duty" shall be substituted;

(B) after paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed on the subject goods specified against serial numbers 1, 2, 3 and 4 of the Table referred to in paragraph 1, shall remain in force up to and inclusive of the 16th November, 2020, unless revoked, superseded or amended earlier.".

[F. No. 354/180/2015-TRU (Pt-I)]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA